न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	20/26	2026/27	27/03/2026	लक्ष्मीनारायण बनाम सरकार	30.03.2026	1 लगायत 2

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र घन्नू जाति मीना निवासी डोब तहसील वजीरपुर। —अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील वजीरपुर । —रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :— विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से :— पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 340/2026 में पारित निर्णय दिनांक 23/02/2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डोब के आराजी ख0नं0 1182 रकबा 0.05 एवं 1182/1320 रकबा 0.10 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कायम किये गये प्रकरण में जारी किये गये नोटिस पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थिति के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट से कहा गया कि आपको जो नोटिस दिया गया है उसका जबाब [illegible] जबाब देने के लिये न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उससे पूर्व ही दिनांक 23.02.2026 को [illegible] अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में व बिना जानकारी के अपीलान्ट के पीछे से अपीलाधीन निर्णय पारित कर [illegible] गया जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट [illegible] किसी चरागाह भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत [illegible] रिपोर्ट [illegible] विरूद्ध पेश की है जिसे आधार बनाकर बिना अपीलान्ट को जबाब का अवसर दिये, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:11:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

File No.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 20/2026 लक्ष्मीनारायण बनाम सरकार ।

किया गया है। जो विधि विरूद्ध पारित किया गया है तथा निरस्त होने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताते हुए निर्णय पारित किया है जबकि प्रार्थी कभी पश्चातवर्ति अतिक्रमी नहीं रहा न कभी प्रार्थी ने किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया। इसलिये प्रार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा बनायी गयी झूंठी रिपोर्ट व पटवारी हल्का के टाईप शुदा एकपक्षीय बयानों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि अपीलार्थी का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.10.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 23.02.2026 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2026 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:11:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी